COURSE NAME –M.Ed IIIrd SEMESTER
SUBJECT NAME = ELEMENTARY EDUCATION FOR DIFFERENTLY ABLED (SC-1)

Concept & characteristics of impairment,disability & handicap
(क्षति,अक्षमता,निःशक्तता की अवधारणा और विशेषताएँ)

क्षति,अक्षमता,निःशक्तता की अवधारणा :-

विशेष आवश्यकता वाले विकलांग जनो का नामकरण या वर्गीकरण का उद्द्येश्य केवल उन्हे आवश्यकता के अनुरुप विशेष सेवा प्रदान करने का नही रहा है । इसके अन्य सामाजिक कारण भी रहे है । हालांकि विशेष शिक्षा मे वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है । किंतु वर्गीकरण कई मायनो मे महत्वपूर्ण भी है । यह कानूनी अधिकार प्राप्त करने,सरकारी सेवाओ के सटीक प्रबंधन मे, शोध कार्यो मे तथा सक्षम मानव विकास मे सहायक होता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1980 मे विकलांगता के क्षेत्र मे अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की दिशा मे एक वर्गीकरण आई.सी.आई.डी.एच (ICIDH) को स्थापित किया,जिसका आधार मेडिकल मॉडल था | बीसवी सदी के अंतिम दो दशको मे,इस बात को माना गया कि विकलांग जनो को ही नही बल्कि समाज को भी उनके आवश्यकता के अनुरुप बदलना होगा,वर्गीकरण का आधार कही न कही तत्कालीन समाज की मानसिकता से परिलक्षित होता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकारने मे देरी नही कि अक्षमता या इसकी गम्भीरता समाज की विभिन्न परिस्थितिया उत्पन्न करती है। फलस्वरुप संगठन ने 2000 मे मेडिकल मॉडल को नकारते हुए सामाजिक मॉडल पर आधारित वर्गीकरण को व्यापक रुप मे प्रसारित और क्रियांवित किया जिसे आई.सी.एफ के नाम से जानते है ।

सामाजिक परिवेश ही क्षमता अक्षमता को परिभाषित कर इनके मध्य की खाई को पैदा करता है । अक्षमता और निःशक्त जनो के लिये हमारे समाज की सोच संकीर्ण और पुर्वाग्रह से ग्रसित रही है । सन् 1981 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय विकलांग जन वर्ष के रुप मे मनाने का फैसला लिया । यह घोषणा अपने आप मे समाज के बदलते नजरिये को प्रदर्शित करता है |

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आई.सी.आई.डी.एच (ICIDH) नामक मैंन्युअल प्रकाशित किया जिसमे तीन संकल्पनाओ की बात की जो निम्नलिखित है -

क्षति (Impairment) :-

" स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ मे,क्षति शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संरचनात्मक कार्य अथवा संरचना से संबंधित विषमता या हानि है"

" In the context of health experience,impairment is any loss or abnormality of psychological,physiological,or anatomical structure or fuction" (WHO-ICIDH-1980)

इस परिभाषा के दो प्रमुख पहलुओ पर ध्यान दिया जाना चाहिये । पहला कि क्षति विकार या दोष से ज्यादा व्यापक शब्द है जो हानि को भी अपने मे शामिल करता है । सैद्धांतिक रुप से 'क्षति' अंग स्तर पर हानि का प्रतिनिधित्व करता है । इसका संबंध किसी भी कारण उत्पन्न हुये शरीर संरचना और प्रणाली समारोह की असमान्यताओ से है जबकि आई.सी.आई.डी.एच (ICIDH) के ड्रॉफ्ट मे क्रियात्मक सीमाओ या विषमताओं को अक्षमता का हिस्सा माना गया था ।

प्राथमिक रुप से क्षति की परिभाषा मानक पर आधारित तथा शारीरिक और मानसिक कार्यत्मकता के निर्धारको पर आधारित है ।क्षति व्यक्ति मे जैव-चिकित्सकीय मानक स्थिति के विचलन को इंगित करती है । यह असामान्यतया की स्थिति है जो अंग तंत्र या शरीर के अन्य संरचना विसंगति,दोष,कार्यात्मक (मानसिक क्रियाओ की प्रणाली सहीत)दोष को दर्शाता है । इसमे सीमाये या हानि अस्थायी या स्थायी हो सकते है ।

2- अक्षमता (Disability):-

" स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ मे,व्यक्ति के लिये सामान्य माने जाने वाले क्रियाओ की श्रेणी मे सामान्य रुप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता मे बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता है"

" In the context of health experience, a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being" (WHO-ICIDH,1980)

व्यक्ति द्वारा गतिविधि और कार्यात्मक प्रदर्शन के संदर्भ मे 'अक्षमता' क्षति के परिणाम को दर्शाता है । अक्षमता व्यक्ति के स्तर पर हानि का प्रतिनिधित्व करता

है । इसका सम्बंध व्यक्ति के या उसके पुरे शरीर के कार्य, कौशल और व्यवहार से परिलक्षित होने एकीकृत और मिश्रित गतिविधियो से है । अक्षमता चुकि क्षति तथा दिव्यांगता के बीच कड़ी प्रदान करता है इसलिये इसकी अवधारणा कुछ हद तक अस्पष्ट प्रतीत होती है । इसकी अवधारणा अपेक्षित व्यवहार या गतिविधि की कमी या अधिकता से वर्णित होती है जो अस्थायी या स्थायी ,परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय और प्रगतिशील या प्रतीगामी हो सकते है । व्यक्ति को जब अपनी पहचान मे परिवर्तन के बारे मे पता हो जाता है तब वह अक्षमता का रुप ले लेता है ।एकीकृत,शारीरिक,मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ मे क्रियात्मकता की पृथक सोच को नकारते आये है । हम सामान्यतया सामाजिक और शारीरिक पहलुओ पर क्रियात्मकता व क्षमता को अलग अलग नही देख पाते है ।

आई.सी.आई.डी.एच (ICIDH) के अनुसार किसी एक को कहना है कि उसमे अक्षमता है (Has a disability) तुलनात्मक रुप से तटस्थता शब्द है जबकि किसी को कहना कि वह अक्षम है (Is disabled) अधिक स्पष्ट और हानिकर हो जाता है ।

3- निःशक्तता (Handicap) :-

" स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ मे, एक व्यक्ति के लिये निःशक्तता,क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रुप मे है जो उस व्यक्ति विशेष की सामान्य भूमिका (उम्र,लिंग,सामाजिक व सांस्कृतिक करको के अनुरुप) की पुर्ति होने मे बाधा लाता या रोकता है''

"In the context of health experience,a handicap is a disadvantage For a given individual,resulting from an impairment or a disability,that limits or prevents the fulfilment of a role that is normal depending on age,sex and social and cultural factors for that individual" **(WHO-ICIDH,1980)**

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं ही निःशक्तता (Handicap) को एक विवादित अवधारणा माना है । इस अवधारणा की तीन महत्वपूर्ण बाते ध्यान देने योग्य है :

- इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वयम के या किसी समुह/साथियो के प्राथमिकता एवम मुल्यो मे विस्थापन देखा जाता है (संरचनात्मक एवम कार्यात्मक मानदंडों से अलग हो जाता है).

- इस अवधारणा के लिये समय,स्थान,स्थिति और भूमिका सभी महत्वपूर्ण है, यानि एक व्यक्ति एक परिवेश मे निःशक्त हो सकता है तो दुसरे परिवेश मे निःशक्त नही हो सकता है ।
- इस अवधारणा मे आकलन प्रभावित व्यक्ति की सीमाओ का ही होता है ।

क्षति और अक्षमता के एक परिणाम के रुप मे निःशक्तता (Handicap) का सम्बंध व्यक्ति द्वारा अनुभव किये जाने वाले सीमाओ तथा बाधाओ से है ।व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ अनुक्रिया और अनुकुलन निःशक्तता को प्रतिबिम्बित करता है । व्यक्ति की स्थिति या प्रदर्शन और समुह विशेष की अपक्षाओं (जिसका वह एक सदस्य है) के बीच मतभेद या अंतर ही निःशक्तता को विशेषित करता है । इस प्रकार निःशक्तता एक सामाजिक घटना है । क्षति या अक्षमता की स्थिति सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों द्वारा निःशक्तता मे बदल जाती है । इसलिये निःशक्तता से प्रभावित व्यक्ति का स्वयम् का प्रयोजन कोई खास मायने नही रखता है ।

शारीरिक स्वतंत्रता,गतिशीलता,अनुस्थापन,व्यवसाय,सामाजिक-एकीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक अनुभव के महत्वपूर्ण आयाम माने गये है । इन आयामो पर अपने समाज के मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की क्षमता बाधित हो सकती है, इन सभी आयामो मे परिस्थितियो के लिये बद्लाव सम्भव है निशक्त होने की स्थिति अन्य लोगो के सापेक्ष है इसलिये समाज की मौजुदा संथागत व्यवस्था जो सामाजिक मूल्यो की महत्ता को बनाती है का महत्वपूर्ण स्थान है । इस प्रकार गैर-निशक्त लोगो की अभिवृत्ति तथा प्रतिक्रिया एक केंद्रीय भूमिका के रुप मे उभर कर सामने आती है ।

2- आई.सी.एफ के मॉडल :- विकलांगता के दो प्रमुख मॉडल है- चिकित्सा तथा सामाजिक मॉडल । चिकित्सा मॉडल विकलांगता को व्यक्ति की एक विशेषता के रुप मे देखता है जो रोग य आघात से उत्पन्न हुये हो तथा जिन्हे पेशेवर स्वस्थ्यकर्मी द्वारा इलाज की आवश्यकता होती है । दुसरी ओर सामाजिक मॉडल मे विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रुप मे देखा जाता है न की व्यक्ति के शारीरिक स्थिति पर । सामाजिक मॉडल मे विकलांगता राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है क्योंकि गैर-अनुग्रही भौतिक परिवेश सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित

करता है । दोनो मॉडल मे कोई मॉडल पर्याप्त नही है किंतु दोनो आंशिक रुप से सही है । विकलांगता एक जटिल घटना है जो व्यक्ति के स्तर की समस्या या बाधा के साथ साथ सामाजिक घटना भी है । दोनो मॉडल के
संश्लेषण से सृजित नये मॉडल को आई.सी.एफ द्वारा एक बेहतर मॉडल के रुप मे प्रस्तुत किय गया । चिकित्सा और सामाजिक मॉडल के एकीकरण से निर्मित इस मॉडल को बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते है । निम्न आरेख आई.सी.एफ के लिये आधार है तथा यह विकलंगता के बायोसाइकोसोशल मॉडल का प्रतिनिधित्व करते है :-

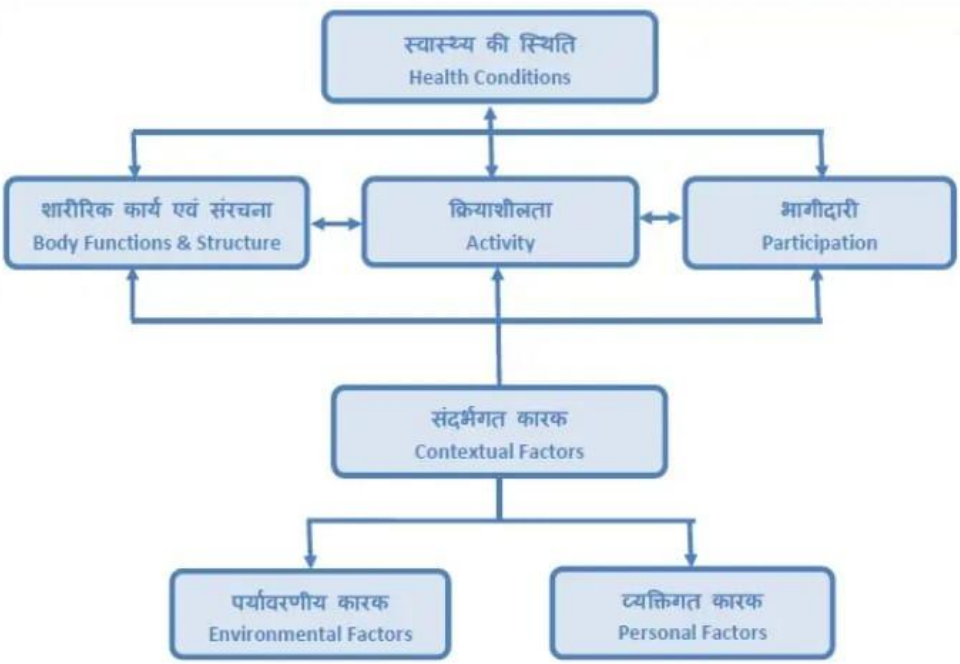

आई.सी.एफ नीति निर्धारण,आर्थिक आकलन,शोध कार्य,वातावरण निर्माण, सटीक हस्तक्षेप आदि कई क्षेत्रो मे किया जा सकता है । इसके अनुप्रयोग को निम्न चार्ट द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकते है :-

व्यक्तिगत स्तर पर	संसथान स्तर पर	समाज स्तर पर
• व्यक्ति के क्रियात्मकता के आकलन में. • व्यक्ति के उपचार की योजना में. • हस्तक्षेप तथा उपचार के आकलन में. • मेडिकल प्रोफेशनल के मध्य सटीक सम्प्रेषण स्थापित करने में. • लाभार्थी के स्व-मूल्यांकन में.	• शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए • संसाधन के योजना तथा विकास में. • सेवा के गुणवत्ता सुधारने में. • प्रबंधन तथा परिणाम के मूल्यांकन में • स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रभावी मॉडल के विकास में.	• सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारण में. • सामाजिक नीतियों के विकास तथा पुनरीक्षण में. • आवश्यकता आकलन में- जिससे नीतियाँ निर्धारित हों. • यूनिवर्सल डिजाइन या सुगम वातावरण के आकलन में.